राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

सं.एफ–6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/3 आई जयपुर, दिनांकः–4.10.2002

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.6 (179) परि/टैक्स/एचक्यू/95/3 एच, दिनांक 1.3.2002 में इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,–

1. उद्देशिका में, विद्यमान अभिव्यक्ति, ''सन्निर्माण उपस्कर यानों (गैर–परिवहन यानों से भिन्न) और'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''और डम्पर, लोड़र'' प्रतिस्थापित की जायेगी ।
2. क्रम संख्या 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''सन्निर्माण उपस्कर यानों (गैर–परिवहन यानों से भिन्न) और'' हटायी जायेगी ।

राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव